

न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

पीठासीन अधिकारी - श्री विष्णु कुमार गोयल-1 (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : प्रार्थना पत्र टीआई संख्या / 2020 / 40

1. धर्मवीर पुत्र कृष्णलाल निवासी ग्राम मुरलीपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान।

-प्रार्थी

बनाम

1. कालूराम पुत्र माधोलाल जाति अहीर निवासी बाडगरो की ढाणी ग्राम सिरोली तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज0।
2. गुलाब पत्नी स्व0 कल्याण जाति गुर्जर निवासी ग्राम मुरलीपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
3. निधी चौधरी पत्नी उमेश पूनियां निवासी फ्लेट नंबर एफ 201, रघुराज एन्वलेव प्लाट नंबर जी 17, कृष्णा मार्ग, सी स्कीम जयपुर।
4. बीला पत्नी स्व0 कल्याण जाति गुर्जर
5. भंवर लाल पुत्र कृष्णलाल जाति गुर्जर
6. मेवा पुत्र गोपी जाति गुर्जर
समस्त निवासी ग्राम मुरलीपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज0।
7. विजयपाल सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी सगोरा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर राजस्थान।
8. श्याम लाल पुत्र कृष्ण लाल जाति गुर्जर
9. श्री नारायण पुत्र जगदीश जाति गुर्जर
समस्त निवासी ग्राम मुरलीपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
10. सुवालाल पुत्र माधोलाल जाति अहीर निवासी ग्राम सिरोली तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
11. हरिनारायण पुत्र जगदीश जाति गुर्जर निवासी ग्राम मुरलीपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर (दौराने वाद मृतक)
- 11/1 श्रीमती शान्ति देवी पत्नी स्व0 हरिनारायण
- 11/2 मनोज पुत्र स्व0 हरिनारायण
- 11/3 राजेन्द्र पुत्र स्व0 हरिनारायण
समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम मुरलीपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
- 11/4 कमलेश पुत्री स्व0 हरिनारायण पत्नी श्री दिनेश जाति गुर्जर निवासी ग्राम कनका की ढाणी, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
- 11/5 अनिता पुत्री स्व0 हरिनारायण पत्नी श्री कैलाश जाति गुर्जर निवासी ग्राम गोरधन नगर, टोल टैक्स, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
- 11/6 ममता पुत्री स्व0 हरिनारायण पत्नी श्री गणेश जाति गुर्जर निवासी ग्राम चौगान स्टेडियम ब्रह्मपुरी जिला जयपुर।
12. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया जरिये शाखा प्रबंधक शाखा लूनियावास जयपुर।
13. सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।



सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,
1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा
151 सी0पी0सी0 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक : 24.03.2022

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र टीआई इस आशय के साथ पेश किया गया कि
वाकै ग्राम मुरलीपुरा पटवार हल्का जयपुरा भू0अ0नि0 क्षेत्र लुनियावास
तहसील सांगानेर जिला जयपुर के खाता संख्या नया 36 पुराना 36 में स्थित
आराजी कृषि भूमि खसरा नंबर 141 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नंबर 142
रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नंबर 143 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नंबर 220
रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नंबर 221 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नंबर 222
रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नंबर 223 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नंबर
225/366 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 228 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा
नंबर 244 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नंबर 245 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा
नंबर 246 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नंबर 247 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा
नंबर 248 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नंबर 249 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा
नंबर 263 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नंबर 274 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा
नंबर 295 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नंबर 315 रकबा 0.39 हैक्टेयर, खसरा
नंबर 32/402 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 329 रकबा 0.15 हैक्टेयर,
खसरा नंबर 330 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नंबर 331 रकबा 0.19 हैक्टेयर,
खसरा नंबर 332 रकबा 0.39 हैक्टेयर, खसरा नंबर 333 रकबा 0.19 हैक्टेयर,
खसरा नंबर 335 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नंबर 336 रकबा 0.18 हैक्टेयर,
खसरा नंबर 338/385 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 343 रकबा 0.64
हैक्टेयर, खसरा नंबर 350/386 रकबा 0.070 हैक्टेयर, खसरा नंबर
358/392 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 359 रकबा 0.610 हैक्टेयर,
खसरा नंबर 72/380 रकबा 0.090 हैक्टेयर, खसरा नंबर 82 रकबा 0.450
हैक्टेयर, खसरा नंबर 83 रकबा 0.470 हैक्टेयर, खसरा नंबर 85/393 रकबा
0.08 हैक्टेयर कुल किता 36 कुल रकबा 6.8700 हैक्टेयर भूमि जमाबंदी
अनुसार प्रार्थी का 4/135 हिस्सा शेष हिस्सा अनुसार राजस्व रिकॉर्ड
जमाबंदी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 के नाम दर्ज व अंकित है, उक्त कृषि




सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

भूमि प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 की संयुक्त रूप से आराजी कृषि भूमि है। जिसे आगे के मदो में संयुक्तरूप से वादग्रस्त आराजीयात कहकर सम्बोधित किया जायेगा। वादग्रस्त भूमि का प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 बाहमी बंटवारे के अनुसार काबिज काशत है। लेकिन प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 के मध्य विधिक विभाजन नहीं हुआ है। इसलिये उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 को विवादित भूमि के विधिक विभाजन करवाने हेतु कई बार कहने पर पूर्व में तो अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 हागी भरते रहें परन्तु अब चूंकि जयपुर जिला की कृषि भूमियों की बाजारु दर में अत्यधिक वृद्धि हो चुकी है इसलिये उक्त अप्रार्थी की नियत में खोट आ गई है और उन्होंने दिनांक 18.02.2020 को विधिक विभाजन करवाने से इन्कार कर दिया है। उक्त अप्रार्थीगण विवादित भूमि का बिना विधिक विभाजन करवाये विशेष भू-भाग को विक्रय-हस्तान्तरण इत्यादि करने की अनुचित व विधि विरुद्ध मंशा रखने लग गये और मौके पर भू-माफिया गिरोह के व्यक्तियों को लाकर विवादित भूमि के विशेष भू-भाग, जिस पर मनबैंट के अनुसार प्रार्थी काबिज काशत है, की ओर ईशारा करते हुए भूमि विक्रय करने की वार्तालाप करते है जबकि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं है। बिनायदावा अन्तिम रूप से दिनांक 18.02.2020 को तब पैदा हुआ जब अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 ने विधिक विभाजन करवाने से इन्कार कर दिया और प्रार्थी को उसके निहित काबिज हिस्से से बाहुबल के आधार पर बेदखल करके विक्रय-हस्तान्तरण करके खुर्द-बुर्द करने व मिट्टी बैचान करने की एलनिबों धमकी दी जो निरन्तर जारी है।



अनुरोध में प्रार्थना की गई है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 11 को अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला वाद पाबन्द फरमाया जाकर वाकै ग्राम मुरलीपुरा पटवार हल्का जयपुरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लूनियावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर के खाता संख्या नया 36 पुराना 36 में स्थित आराजी कृषि भूमि खसरा नंबर 141 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नंबर 142 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नंबर 143 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नंबर 220 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नंबर 221 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नंबर 222 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नंबर 223 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नंबर 225/366 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 228 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नंबर 244 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नंबर 245 रकबा


सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

0.06 हैक्टेयर, खसरा नंबर 246 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नंबर 247 रकबा
 0.09 हैक्टेयर, खसरा नंबर 248 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नंबर 249 रकबा
 0.07 हैक्टेयर, खसरा नंबर 263 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नंबर 274 रकबा
 0.08 हैक्टेयर, खसरा नंबर 295 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नंबर 315 रकबा
 0.39 हैक्टेयर, खसरा नंबर 32/402 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 329
 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नंबर 330 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नंबर 331
 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नंबर 332 रकबा 0.39 हैक्टेयर, खसरा नंबर 333
 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नंबर 335 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नंबर 336
 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नंबर 338/385 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा
 नंबर 343 रकबा 0.64 हैक्टेयर, खसरा नंबर 350/386 रकबा 0.070 हैक्टेयर,
 खसरा नंबर 358/392 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 359 रकबा 0.610
 हैक्टेयर, खसरा नंबर 72/380 रकबा 0.090 हैक्टेयर, खसरा नंबर 82 रकबा
 0.450 हैक्टेयर, खसरा नंबर 83 रकबा 0.470 हैक्टेयर, खसरा नंबर 85/393
 रकबा 0.08 हैक्टेयर कुल किता 36 कुल रकबा 6.8700 हैक्टेयर में प्रार्थी के
 कब्जे काश्त की 4/135 भूमि के उपयोग उपभोग करने में किसी भी प्रकार
 की दखल-न्दाजी, हस्तक्षेप, बाधा, रूकावट, विक्रय, रहन, बंधक हस्तान्तरण,
 मदाखलत, मजाहमत इत्यादि नहीं करें तथा बाहुबल के आधार पर उक्त
 वादग्रस्त भूमि के किसी भी भू भाग का विक्रय हस्तान्तरण, रहन नहीं करे, ना
 वादग्रस्त आराजीयात में मिट्टी खोदकर बैचान करे, तथा विवादग्रस्त का कृषि
 से अकृषि में परिवर्तन नहीं करावे तथा उक्त वादग्रस्त भूमि के किसी भी भाग
 का खुर्द-बुर्द करने से निषेध रहें, और वादग्रस्त भूमि के किसी भी विशिष्ट भू
 भाग का विक्रय हस्तान्तरण नहीं करे, तथा कच्चे पक्के रास्ते सडक,
 बाउण्ड्रीवाल, तामीरात के निर्माण एवं मिट्टी खुदाई कर बैचान इत्यादि को भी
 निषेध रखे, ऐसा कृत्य ना तो अप्रार्थीगण स्वयं करे और ऐसा नहीं करने हेतु
 अपने परिवारजनों, एजेण्ट, प्रतिनिधि, सर्वेण्ट इत्यादि को भी निषेध रखें अर्थात
 वादग्रस्त भूमि के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका की यथास्थिति बनायीं
 रखें।



प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र टीआई के समर्थन में दस्तावेजात सूची के साथ
 प्रमाणित प्रति जमाबंदी व नक्शा ट्रेस की फोटो प्रति पेश की जो शामिल
 पत्रावली है।

प्रार्थना पत्र टीआई दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन
 तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1, 4, 6, 9, 10 की ओर से श्री रामजीलाल
 शर्मा एडवोकेट, अप्रार्थी संख्या 7 की ओर से श्री प्रकाश तिवाडी एडवोकेट ने

सहायक कलेक्टर
 जयपुर शहर द्वितीय

वकालतनामा पेश किया, अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से श्री जगदीश नारायण शर्मा ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

अप्रार्थी संख्या 1, 4, 6, 9, 10 की ओर से जवाब टीआई पेश किया गया जिसमें अंकित है कि - प्रार्थी व मिन अप्रार्थी बाहमी बटवारे के अनुसार काबिज काश्त है। लेकिन प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है तथा उपरोक्त कृषि भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। मिन अप्रार्थीगण मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवारा करने के लिए हमेशा तैयार व तत्पर रहे है। मिन अप्रार्थी अपनी भूमि को किसी प्रकार से विक्रय हस्तानान्तरण इत्यादि नहीं कर रहे है। मिन अप्रार्थीगण शान्तिप्रिय व्यक्ति है परन्तु प्रार्थी जबरन मिन अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त वाली भूमि पर कब्जा करने के लिए वाद में गलत तथ्य अंकित किये है। प्रार्थी केवल रोड से लगती हुयी सरस भूमि पर कब्जा करने की नियत से झूठे तथ्य अंकित किये है। जबकि मिन अप्रार्थीगण हमेशा से ही मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवारा करने के लिए तैयार व तत्पर रहे है। प्रार्थी का मिन अप्रार्थीगण के साथ दिनांक 18.02.2020 को कोई वादकारण उत्पन्न नहीं हुआ है बिना वाद कारण के ही प्रार्थी ने यह झुठा वादकारण अंकित करते हुए वाद पत्र व प्रार्थना पत्र टीआई पेश किया है। अतः जवाब टीआई पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र टीआई मय हर्जे खर्चे के फरमाया जावें।



अप्रार्थी संख्या 7 की ओर से जवाब टीआई पेश किया गया जिसमें अंकित है कि - अप्रार्थी उत्तरदाता ने वादग्रस्त आराजीयात के विधिवत विभाजन के कभी इन्कार नहीं किया है, अप्रार्थी उत्तरदाता वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 82 रकबा 0.45 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा नंबर 85/396 रकबा 0.08 हैक्टेयर के 0.06 हैक्टेयर भाग (जो खसरा नंबर 82 के लगता हुआ है) पर काबिज काश्त है, अप्रार्थी उत्तरदाता ने अपने हक हिस्से पर समय समय पर लेवलिंग करवाकर, भूमि का उपजाऊ बनाकर इत्यादि प्रकार से विकास करवा कर काबिज काश्त है, अप्रार्थी उत्तरदाता ने उपरोक्त वर्णित अपने हक हिस्से की भूमि पर एक कोठरीनुमा कमरा बना रखा है और अपने हक हिस्से की भूमि पर कच्ची सीमा कायम कर रखी है। अप्रार्थी उत्तरदाता द्वारा कभी किसी प्रकार का कोई अनुचित विधि विरुद्ध कार्य नहीं किया गया, अप्रार्थी उत्तरदाता विधिवत प्रकार से तकासमा करवाने हेतु तत्पर है। अप्रार्थी उत्तरदाता द्वारा जवाब वाद पत्र में अंकित अपने कब्जे काश्त के अनुसार


सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

वादग्रस्त आराजीयात का विधिवत बंटवारा कर दिया जावे तथा पृथक खाता कायम कर दिया जावे।

अतः प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से जवाब टीआई प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र टीआई मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमाया जावें।

अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से जवाब टीआई पेश किया गया जिसमें अंकित है कि - प्रार्थी का यह कथन पूरी तरह निराधार है कि बाहुबल के आधार पर बेदखल करने विक्रय हस्तान्तरण करने की प्रतिवादीगण मंशा रखते हो। मिन अप्रार्थी अपने हक व हिस्से की भूमि पर अर्से दराज से शांतिपूर्ण रूप से काबिज है तथा प्रार्थी के कब्जे में हस्तक्षेप करने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। मिन अप्रार्थी संख्या 3 भी मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर जहां काबिज है तथा अन्य पक्षकार भी अब से पूर्व जहां काबिज है उसको दृष्टिगत रखते हुये भूमि वादग्रस्त का विभाजन हेतु सहमत है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र टीआई प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र टीआई मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमाया जावें।

बहस प्रार्थना पत्र टीआई पर वकील उभयपक्ष सुनी गई। बहस टीआई सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात व मूलवाद अवलोकन किया गया। मूलवाद में निर्णय पारित पर प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार सांगानेर से कुर्रजात रिपोर्ट चाहे गये है मूलवाद अन्तिम निस्तारण में है। ऐसे में वादग्रस्त आराजीयात को संरक्षित बनाये रखना आवश्यक समझते है जिसे वाद बाहुल्यता न बढ़ें।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र टीआई विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 24.02.2020 को कन्फर्म किया जाता है, अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है


कि वादग्रस्त आराजी खाता संख्या नया 36 पुराना 36 में स्थित आराजी कृषि भूमि खसरा नंबर 141 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नंबर 142 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नंबर 143 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नंबर 220 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नंबर 221 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नंबर 222 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नंबर 223 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नंबर 225/366 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 228 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नंबर 244 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नंबर 245 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नंबर 246 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नंबर 247 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नंबर 248 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नंबर 249 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नंबर 263 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नंबर 274 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नंबर 295 रकबा



सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

0.10 हैक्टेयर, खसरा नंबर 315 रकबा 0.39 हैक्टेयर, खसरा नंबर 32/402 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 329 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नंबर 330 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नंबर 331 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नंबर 332 रकबा 0.39 हैक्टेयर, खसरा नंबर 333 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नंबर 335 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नंबर 336 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नंबर 338/385 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 343 रकबा 0.64 हैक्टेयर, खसरा नंबर 350/386 रकबा 0.070 हैक्टेयर, खसरा नंबर 358/392 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 359 रकबा 0.610 हैक्टेयर, खसरा नंबर 72/380 रकबा 0.090 हैक्टेयर, खसरा नंबर 82 रकबा 0.450 हैक्टेयर, खसरा नंबर 83 रकबा 0.70 हैक्टेयर, खसरा नंबर 85/393 रकबा 0.08 हैक्टेयर कुल किता 36 कुल रकबा 6.8700 हैक्टेयर वाकै ग्राम मुरलीपुरा, पटवार हल्का जयपुरा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लुणियावास, तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित की मौके एवं रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर संलग्न मूलवाद रहें।
निर्णय आज दिनांक 24.03.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।


सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

